शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
खरगोन, मध्य प्रदेश

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का सामान्य परिचय

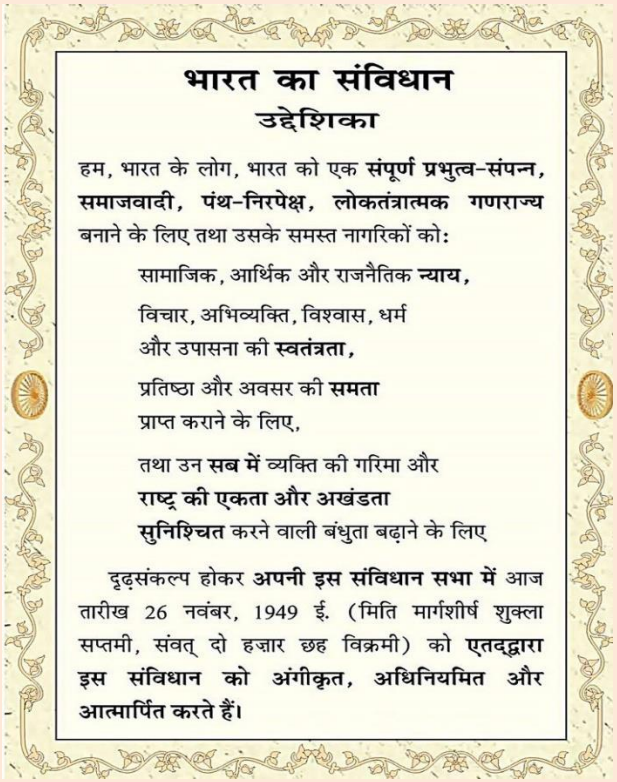

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता** प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन **सब में** व्यक्ति की गरिमा और **राष्ट्र की एकता और अखंडता** **सुनिश्चित** करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हज़ार छह विक्रमी) को **एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।**

प्रस्तावना:

भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। यह पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किये गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया।

प्रस्तावना में उल्लेखित मुख्य शब्दों के अर्थ:

हम भारत के लोग- इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है, अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है अर्थात् दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान की शक्तियों का स्रोत भारतीय जनता है।

संप्रभुता- इस शब्द का आशय है कि, भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र हैं।

समाजवादी- समाजवादी शब्द का आशय यह है कि 'ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूँजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो।

पंथनिरपेक्षता- भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएँ विद्यमान हैं अर्थात् हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है।

लोकतांत्रिक- संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग वृहद् रूप से किया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है।

गणतंत्र- गणतंत्र का अर्थ होता है गण अर्थात जनता का तंत्र। जनता के द्वारा जनता के बीच से चुने हुए प्रतिनिधियों का तंत्र ही असल मायनों में गणतंत्र कहलाता है। गणतंत्र के अर्थ में दो बातें शामिल हैं- पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक

व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के स्थान पर लोगों के हाथ में होती हैं। दूसरी यह कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति।

स्वतंत्रता- यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिये अवसर प्रदान करता है

न्याय- न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, जिसे तीन भिन्न रूपों में देखा जा सकता है- सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय व आर्थिक न्याय।

सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव-मानव के बीच जाति, वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो।

आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत ना हो जाए।

राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का अधिकार।

समता- भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर का क्षमता प्रदान करती हैं जिसका अभिप्राय है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध।

बंधुत्व - इसका शाब्दिक अर्थ है- भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है।

मौलिक अधिकार

संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35 तक) में मौलिक अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग III को 'भारत का मैग्नाकार्टा' की संज्ञा दी गई है।

भारत का संविधान छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है:-

- समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) भी शामिल था। हालाँकि इसे 44वें संविधान अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300 (A) के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है।

भारत में सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। वह संसद द्वारा निर्मित ऐसी प्रत्येक विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और अन्य मौलिक अधिकार भारतीय एवं विदेशी नागरिक दोनों को ही प्राप्त है।

मौलिक कर्तव्य:

वर्तमान में अनुच्छेद 51(A) के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संशोधन (1976) के माध्यम से जोड़ा गया था जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के ज़रिये संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन USSR के संविधान से प्रेरित है।

संविधान में उपबंधित मौलिक कर्तव्य

1) संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्र गान का आदर करना।

2) स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना।

3) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।

4) देश की रक्षा करना और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।

5) भारत के लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।

(6) हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्त्व देना और संरक्षित करना।

7) वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और प्राणिमात्र के लिए दयाभाव रखना।

8) मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना।

10) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिये प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे।

11) 6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। (86वें संविधान द्वारा जोड़ा गया)

विद्यार्थियों के नाम संदेश

प्यारे विद्यार्थियों ! हम सभी का यह दायित्व है कि हम भारत के संविधान की मूल भावना को समझें उसका सम्मान करें और पूर्ण निष्ठा के साथ उसका पालन करें। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक व मौलिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपनों और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। प्रस्तावना में प्रतिबंधकारी शक्तियाँ भले ही न हों, परंतु यह हमारे संविधान की आत्मा है। संविधान निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार- "संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है।"

इसी प्रकार संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और बिना किसी भेदभाव और शोषण के पूर्ण सम्मान के साथ रहने का अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार के महत्व के संबंध में डॉ. अम्बेडकर का यह कथन उल्लेखनीय है- ''यदि मुझसे कोई प्रश्न पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शुन्यप्राय हो जायेगा तो इस अनुच्छेद 32 कोछोड़कर मैं किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता यह संविधान की हृदय एवं आत्मा है।'' श्री ए.एन. पालकीवाला ने कहा है- ''मौलिक अधिकार राज्य के निरंकुश स्वरूप से साधारण नागरिकों की रक्षा करने वाला कवच है।''

जब तक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रयोग के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों का निर्वाह उचित रूप से नहीं करेंगे तब तक हम भारतीय समाज में लोकतंत्र की जड़ों को मज़बूत नहीं कर पाएँगे। हम सबका दायित्व बनता है कि हम संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का सम्मान करें और उनका पालन करें।

प्राचार्य

डॉ. डी.डी. महाजन

IQAC प्रभारी

डॉ. शैल जोशी

लेखन एवं संकलन

डॉ. गणेश पाटिल